

(कार्यालय उपयोग हेतु)

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
अन्तर्गत

वेजीटेबल इनिशियेटिव फॉर अर्बन क्लस्टर
दिशा-निर्देश
2017-18

उद्यान विभाग, राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	कार्यक्रम	पेज संख्या
1	सामान्य निर्देश	1-2
2	सब्जियों की खेती	3-4
3	संरक्षित कृषि	5-8
(क)	ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट हाउस स्थापना	5-7
(ख)	प्लास्टिक मल्लिचंग	7-8
(ग)	प्लास्टिक टनल	7-8
4	वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना	9-10
5	मानव संसाधन विकास कार्यक्रम	11-12
6	फसल तुड़ाई उपरांत प्रबंधन	13-14
7	विपणन	15-16
8	सेमीनार/वर्कशॉप	17
9	अनुदान/सहायता प्राप्त करने का आवेदन प्रपत्र	परिशिष्ट-1
10	आदान परमिट प्रपत्र	परिशिष्ट-2
11	ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस के मापदण्ड	परिशिष्ट-3
12	प्लास्टिक मल्लिच, लो टनल के मापदण्ड	परिशिष्ट-4, 5
13	कृषक प्रशिक्षण लागत का मदवार विवरण	परिशिष्ट-6
14	पैक हाउस के मापदण्ड	परिशिष्ट-7
15	प्याज भण्डारण के मापदण्ड	परिशिष्ट-8
16	प्याज भण्डारण की डिजाईन	परिशिष्ट-9
17	वेन्डिंग कार्ट के मापदण्ड	परिशिष्ट-10
18	सेमीनार के आयोजन का मदवार विवरण	परिशिष्ट-11

1.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वेजीटेबल इनिशिएटिव फॉर अरबन कलस्टर कार्यक्रम क्रियान्वयन दिशा निर्देश

सब्जी उत्पादक कृषकों की आमदनी में वृद्धि एवं शहरी उपभोक्ता को उचित दर पर गुणवत्ता युक्त ताजा सब्जियों की उपलब्धता हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वेजीटेबल इनिशिएटिव फॉर अरबन कलस्टर का क्रियान्वयन राज्य के जयपुर, अलवर, सीकर, कोटा व अजमेर जिलों में किया जाना है। योजना के तहत स्वीकृत कार्य योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन दिशा-निर्देश निम्नानुसार है:-

सामान्य निर्देश:

- योजना कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जिलेवार आंवटित लक्ष्यों के अनुसार किया जावे।
- कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सघन क्लस्टर के रूप में किया जावे। इसके लिये कृषकों का चयन यथासम्भव समूह के रूप में किया जावे।
- योजना गतिविधियों व अनुदान प्रावधान का कृषकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।
- कृषक/ लाभार्थी चयन में ड्रिप संयंत्र पद्धति आदि अपनाने के इच्छुक कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं को जोड़कर रखा जावे।
- योजनान्तर्गत अनुदान/सहायता हेतु आवेदन पत्र उप निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक उद्यान/कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने होंगे।
- कृषकों को राजकीय, सहकारी संस्थाओं से समय पर आदान आपूर्ति/ उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। जिले में कार्यरत सभी सहकारी संस्थाओं को आदान आपूर्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाकर समय पर विभिन्न आदानों की मांग से अवगत कराया जावे, ताकि कृषकों को सही समय पर आदान उपलब्ध हो सके।
- बीज के अतिरिक्त अन्य सभी आदान ग्राम सेवा सहकारी समिति/ क्रय-विक्रय सहकारी समिति/लेम्पस/पैकस के माध्यम से उपलब्ध कराये जावे।
- जिला अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय स्तर से किसी भी संस्था से किसी प्रकार का कीटनाशी रसायन व उर्वरक अनुदानित दर पर क्रय कर कृषकों को उपलब्ध नहीं कराया जावे।
- योजना के तहत कृषक को आदान उपलब्ध कराने हेतु कृषि अधिकारी/ सहायक कृषि अधिकारी/ कृषि पर्यवेक्षक द्वारा परमिट/ सिफारिश आदान आपूर्ति संस्था सहकारी समिति/ क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ लेम्पस/ पैकस को दी जावे।(परिशिष्ट 2)
- कृषि अधिकारी/ सहायक कृषि अधिकारी/ कृषि पर्यवेक्षक की सिफारिश पर कृषक के स्वयं के द्वारा कृषक हिस्सा राशि सहकारी समिति में जमा कराकर कार्यक्रम के प्रावधान अनुसार आदान प्राप्त किये जायेंगे।
- योजना अन्तर्गत कीटनाशी रसायन कृषि विभाग द्वारा रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों में से प्राथमिकता से 'ए' व 'ब' श्रेणी पाये गये निर्माताओं के उपलब्ध कराये जावे। 'ए' व 'ब' श्रेणी के कीटनाशी रसायन निर्माताओं के पास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी की पूर्व अनुमति से ही अन्य श्रेणी के कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
- योजना कार्यक्रम अन्तर्गत कृषक द्वारा क्रय किये गये आदान का संस्था द्वारा जारी बिल के पृष्ठ भाग पर स्वयं कृषक द्वारा आदान प्राप्ति को प्रमाणित करवाकर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्राप्त करने के निर्देश आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को जारी किये जाकर पालना सुनिश्चित की जावे। सहकारी संस्थाओ द्वारा उपलब्ध कराये गये आदानों की कृषकवार सूची के साथ कृषक के हस्ताक्षरशुदा बिल अनुदान भुगतान हेतु जिला कार्यालय को प्रस्तुत किये जायेंगे।

- अनुदान क्लेमस् का कार्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत बिल प्राप्त होने के अधिकतम एक माह में संस्था को आर.टी.जी.एस. के द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
- कृषक चाहे तो सहकारी संस्थाओं से शत प्रतिशत लागत पर आदान क्रय कर अनुदान के क्लेमस् विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे, ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा कृषक को क्लेमस् प्राप्ति के पश्चात अधिकतम 15 दिवस में अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के द्वारा किया जावे।
- योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत अनुदान राशि के चैक/ड्राफ्टस कार्यालय से जारी होने की दिनांक से अधिकतम सात दिवस में संबंधित कृषक/ संस्था/लाभार्थी को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने होंगे।
- योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भारत सरकार के निर्देशानुसार 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 8 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किये जाने की सुनिश्चिता करावे। आवंटित बजट राशि की 30 प्रतिशत राशि महिला लाभार्थियों/ कृषकों के लिये निर्धारित की जावे।
- योजनान्तर्गत कार्यक्रम के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र (परिशिष्ट-1) में प्राप्त करने होंगे। आवेदन पत्र पर संबंधित कृषक/ संस्था/लाभार्थी का फोटो व जिस भूमि पर कार्यक्रम/ गतिविधि ली जा रही है का भू-स्वामित्व के खसरा नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त मृदा एवं जल की जांच की रिपोर्ट भी संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं कृषक के मोबाईल नम्बर भी आवेदन पत्र में अंकित करने होंगे।
- योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिये आवेदन करने वाले वास्तविक आवेदक की मृत्यु होने की स्थिति में अनुदान राशि वास्तविक आवेदक के कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी। इसके लिये लाभार्थी को कानून में निर्धारित किये अनुसार उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कृषक समूह के गठन हेतु चयनित कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।
- योजना के विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान लिये जाने हेतु कृषक के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए। लीज पर ली गई भूमि पर कार्यक्रम लिये जाने हेतु अनुदान देय नहीं होगा।
- जिला अधिकारी आवंटित वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार ही प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर सकेंगे। आवंटित वित्तीय लक्ष्यों से अधिक किसी भी कार्यक्रम में प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं करें। इस हेतु यदि जिले में किसी कार्यक्रम की मांग है तो निदेशालय से अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त कर ही कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- योजना के तहत जो भी कार्यक्रम स्थायी प्रकृति के है उन कार्यक्रम अन्तर्गत लाभान्वित कृषकों की सूची मय दूरभाष नं. एवं दिये गये अनुदान से संबंधित सूचना पृथक रजिस्टर में संघारित करें। इस हेतु कृषक पत्रावली में परियोजना की फोटो कृषक सहित आवश्यक रूप से लगायी जावे।
- परियोजना आधारित समस्त कार्यक्रम जिला अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को प्रस्तुत किये जावे। इस हेतु जिला अधिकारी परियोजना स्थल का निरीक्षण कर स्थल का फोटोग्राफ संलग्न कर स्पष्ट रूप से अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे की परियोजना नई है एवं अनुदान योग्य है।
- परियोजना आधारित कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- किसी योजना/कम्पोनेन्ट अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्रार्थना पत्र पर लॉटरी निकाली जाकर लाभार्थियों की वरियता निर्धारित की जाकर अनुदान उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जावे।
- योजना के तहत सभी लाभार्थियों की डिजीटलाइज्ड सूची तैयार की जावे तथा लाभार्थियों को अनुदान राशि बैंक खाते में हस्तांतरित की जावे।
- योजना अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले कृषकों को/लाभार्थियों को जब तक विभाग द्वारा अन्य कोई आदेश जारी नहीं किये जाते किसी भी गतिविधि पर राज्य योजना से TOP UP अनुदान (अतिरिक्त अनुदान) देय नहीं होगा।

2.सब्जियों की खेती (Vegetable Cultivation)

कृषक चयन :

1. कृषकों का चयन पहले 'आओ पहले पाओ' के आधार पर किया जावे।
2. कृषकों का चयन यथासम्भव समूह में किया जावे।
3. कृषकों के चयन में पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग लिया जावे।
4. चयनित कृषक के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो।
5. कृषक आधुनिक फसल उत्पादन तकनीक अपनाने पर सहमत हो।
6. बूंद-बूंद सिंचाई विधि अपनाने के इच्छुक कृषकों को चयन में प्राथमिकता दी जावे।

अ. सब्जियों की ओपन पोलीनेटेड किस्मों की खेती

अनुदान राशि :

1. कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान/ सहायता राशि इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 22500/- प्रति हैक्टेयर तक सीमित रखी गयी है। प्रत्येक लाभार्थी अनुदान हेतु अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र तक सहायता प्राप्त कर सकेगा।
2. कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान प्राप्ति हेतु न्यूनतम क्षेत्र 0.25 हैक्टेयर निर्धारित किया गया है।
3. इस कार्यक्रम में विभागीय सहायता सब्जी फसलों के बीज, आवश्यक आदान यथा-उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायनों पर देय होगी।
4. सभी आदान विभागीय सिफारिश के अनुसार ही कृषकों को देय होंगे।
5. कृषकों को समस्त आदान कृषक हिस्सा राशि दिये जाकर उपलब्ध कराये जावेंगे।
6. जिला अधिकारी आवंटित कुल लक्ष्य में से जिले में फसल विशेष की अनुकूलता एवं कृषकों की मांग के अनुसार फसल वार लक्ष्य अपने स्तर से विभाजित करेंगे।
7. सब्जी बीजों की व्यवस्था राजस्थान राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय उद्यानिकी अनुसंधान एवं विकास संस्थान अथवा अन्य किसी राजकीय क्षेत्र की एजेन्सी के माध्यम से जिला अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सरकारी भूमि, पंचायत भूमि पर संबंधित विभाग, पंचायत द्वारा हिस्सा राशि जमा कराने पर योजना दिशा निर्देशानुसार अनुदान/ सहायता देय होगी।

ब. सब्जियों की हाईब्रिड किस्मों की खेती

1. कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान/ सहायता राशि इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रूपये 33750/- प्रति हैक्टेयर तक सीमित रखी गयी है। प्रत्येक लाभार्थी अनुदान हेतु अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र तक सहायता प्राप्त कर सकेगा।
2. कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान प्राप्ति हेतु न्यूनतम क्षेत्र 0.25 हैक्टेयर निर्धारित किया गया है।
3. इस कार्यक्रम में सब्जी फसलों के बीज, आवश्यक आदान यथा-उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायनों पर अनुदान देय होगा।
4. योजनान्तर्गत हाईब्रिड बीज उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत फर्मो/राज्य बीज निगम/भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराये जावेंगे। इस हेतु कृषकों को पंजीकृत फर्मो के नाम, फसलों की उत्पादन क्षमता आदि जानकारी उपलब्ध कराई जावे एवं कृषक की सहमति पर ही पंजीकृत फर्मो के माध्यम से बीज उपलब्ध कराया जावे।

5. बीज के अतिरिक्त अन्य आदान यथा उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायनों पंजीकृत फर्मों द्वारा उपलब्ध कराये गये पैकेज आफें प्रेक्टिस के अनुसार उपलब्ध कराया जावे।
6. कृषकों द्वारा समस्त आदान कृषक हिस्सा राशि दिये जाकर प्राप्त किये जावेंगे।
7. सरकारी भूमि, पंचायत भूमि पर संबंधित विभाग, पंचायत द्वारा हिस्सा राशि जमा कराने पर योजना दिशा निर्देशानुसार अनुदान/ सहायता देय होगी।

3. संरक्षित कृषि (Protected Cultivation)

कृषि जलवायुवीय कारक- तापक्रम, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित करके सब्जियों, फूलों व फलों आदि उद्यानिकी फसलों की हेतु ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाऊस, प्लास्टिक मल्विंग, लो टनल्स, एन्टी बर्ड नेट व संरक्षित संरचना में अधिक मूल्य वाली सब्जियों एवं फूलों के बीज/पौध रोपण सामग्री पर निम्नानुसार अनुदान देय है।

(क) ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट हाऊस स्थापना:

ग्रीन हाऊस एवं शेडनेट हाऊस निर्माण हेतु निम्नानुसार निर्धारित इकाई लागत या इस हेतु विभाग द्वारा एम्पेनल फर्मस की प्रस्तुत दरों में से जो भी कम हो पर वर्ष 2017-18 में लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषको को 70 प्रतिशत एवं सामान्य श्रेणी कृषको को 50 प्रतिशत अनुदान देय है:-

कार्यक्रम	आकार (वर्ग मीटर में)	इकाई लागत (राशि रुपये प्रति वर्गमीटर)
ग्रीन हाऊस		
प्राकृतिक वातावरण युक्त संरचना- टयूबुलर संरचना	(i) 500	1060
	(ii) >500-1008	935
	(iii) >1008-2080	890
	(iv) >2080-4000	844
शेडनेट हाऊस		
टयूबुलर संरचना	(i) 1000-4000	710

इस निर्धारित इकाई लागत में राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड/स्पेसिफिकेशन व शर्तों अनुसार सूक्ष्म सिंचाई व अन्य सुविधाओं के साथ ग्रीन हाऊस (पाली हाऊस) एवं शेडनेट हाऊस निर्माण विभाग द्वारा एम्पेनल फर्मस से करवाये जाने पर अनुदान देय है।

ग्रीन हाऊस व शेडनेट हाऊस मय सूक्ष्म सिंचाई व अन्य सुविधायें, पम्प एवं मल्विंग की लागत सम्मिलित है को राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा निर्धारित मापदण्ड/ स्पेसिफिकेशन व शर्तों विभाग द्वारा पृथक से सूचित की जायेगी।

ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाऊस पर निर्माण पर अनुदान प्रक्रिया:

1. कृषक/संस्था/कम्पनी जो ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाऊस लगाकर उद्यानिकी फसल उत्पादन लेना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जायेगा।
2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये अनुदान देय होगा।
3. ग्रीन हाऊस (पाली हाऊस)/शेडनेट हाऊस का निर्माण राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा रजिस्टर्ड (Empanelled) फर्मों से इस हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन अनुसार करवाये जाने पर अनुदान देय होगा। (मापदण्ड संलग्न परिशिष्ट 3)
4. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाऊस लगाने वाले कृषक/ लाभार्थी को बैंक से ऋण लेने की बाध्यता नहीं रहेगी।
5. कृषक को बैंक ऋण की आवश्यकता होने की स्थिति में उप/सहायक निदेशक उद्यान के स्तर से एलओआई जारी की जायेगी। बैंक द्वारा ग्रीन हाऊस निर्माण लागत में से कृषक हिस्सा राशि सीमा तक ऋण दिया जायेगा।

6. कृषक द्वारा ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण की कृषक हिस्सा राशि निर्माणकर्ता फर्म/संबंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को भी जमा कराई जा सकती है। कृषक द्वारा हिस्सा राशि फर्म को जमा कराने पर फर्म द्वारा उसकी प्राप्ति रसीद कृषक को दी जावेगी व एक फोटो प्रति संबंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को भी प्रस्तुत की जावेगी।
7. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना-पत्र के साथ कृषक को भू-स्वामित्व दस्तावेज, लघु सीमान्त प्रमाण-पत्र, मिट्टी व पानी जांच रिपोर्ट एवं ऐम्पेनल फर्म के लागत कोटेशन के साथ ऑन लाइन आवेदन करना होगा। जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति/कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
8. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण पत्रावली पर कृषक का ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लामार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कृषक द्वारा ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने की सूचना के उपरांत अधिकतम एक माह में भौतिक सत्यापन किया जाकर अनुदान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
10. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण के पश्चात खण्डीय संयुक्त/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान, कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक द्वारा संयुक्त निरीक्षण उपरांत निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाये जाने पर संयुक्त कमेटी रिपोर्ट के अध्यक्षीन अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
11. अनुदान का भुगतान लामार्थी की लिखित सहमति के आधार पर ग्रीन हाऊस निर्माण करने वाली कम्पनी को किया जा सकेगा।
12. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक (उद्यान/कृषि) कृषक से निरन्तर सम्पर्क में रहकर यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तो समाधान किया जायेगा।
13. ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, कुल क्षेत्रफल, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण प्रक्रिया:

1. आवेदक द्वारा अपने निम्न दस्तावेजों के साथ जिला कार्यालय ऑन लाइन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा:-
 - ❖ भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
 - ❖ नक्शा ट्रेस
 - ❖ मिट्टी एवं पानी की जांच रिपोर्ट।
 - ❖ ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण लागत ऐम्पेनल फर्म कोटेशन/इनवाइस।
 - ❖ लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो
2. कृषक के ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसका रजिस्ट्रेशन किया जायेगा व कृषक को उसके रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक की जानकारी दी जावेगी।
3. आवेदक के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी किया जायेगा। प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश में कृषक का रजिस्ट्रेशन नम्बर व दिनांक अंकित किया जायेगा।
4. प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी होने के पश्चात् सम्बंधित फर्म द्वारा अधिकतम 30 दिवस में ग्रीन हाऊस/शेडनेट हाउस निर्माण सामग्री साइट पर आपूर्ति की जाकर जिला कार्यालय व कृषक को अवगत कराया जायेगा।

5. जिला अधिकारी द्वारा अधिकतम एक सप्ताह में मौके पर जाकर ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस निर्माण सामग्री की निर्माण पूर्व मापदण्ड अनुसार होने की जांच की जायेगी।
6. फर्म द्वारा 30 दिवस तक निर्माण सामग्री कार्य स्थल पर आपूर्ति नहीं करने पर जिला अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश निरस्त किया जाकर कृषक की सहमति से अन्य फर्म की प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी किया जावेगा।
7. ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस का निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश आदेश जारी किये जाने के अधिकतम 90 दिवस में पूर्ण कर संबंधित कार्यालय में सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर जिला अधिकारी द्वारा सम्बंधित निर्माणकर्ता फॉर्म के सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के तहत शास्ति (Penalty) लगायी जावेगी।
8. ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस निर्माण के पश्चात खण्डीय सयुक्त निदेशक/उप निदेशक उद्यान, उप/सहायक निदेशक उद्यान, कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावेगा।
9. भौतिक सत्यापन के समय ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस पूर्ण रूप से निर्मित हो उसमें आधुनिक सिंचाई पद्धति व निर्धारित मापदण्ड अनुसार अन्य सभी सुविधायें विकसित करने पर कमेटी रिपोर्ट के अध्यक्षीन अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
10. भौतिक सत्यापन के पश्चात अनुदान राशि का भुगतान कृषक की सहमति पर सीधे निर्माता कम्पनी को किया जायेगा।

(ख) प्लास्टिक मल्विंग :

उद्यानिकी फसलों में खरपतवार नियन्त्रण, जल के कुशलतम उपयोग एवं फसल उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्लास्टिक मल्विंग के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये प्लास्टिक मल्व की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 16000/- प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 2 हैक्टेयर क्षेत्र हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है।

कृषक के इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस से बागवानी फसलो में प्लास्टिक मल्व उपयोग करने पर प्रति हेक्टेयर प्रयोग की गई मल्व शीट की लागत 16000/-रूपये प्रति हेक्टर या ऐम्पेनल फर्मस की दर दोनो में से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत कृषक को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जावेगा। इस हेतु तकनिकी मापदण्ड परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।

(ग) प्लास्टिक टनल :

उद्यानिकी फसलों को शीत के प्रकोप से बचाने हेतु प्लास्टिक टनल के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये कृषक के इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस से बागवानी फसलो में लॉ-टनल उपयोग करने पर अनुमानित लागत 60/- रूपये प्रति वर्गमीटर या ऐम्पेनल फर्मस की दर दोनो में से जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत अनुदान देय है। एक लाभार्थी को अधिकतम 1000 वर्गमीटर हेतु अनुदान देय है। इस हेतु तकनिकी मापदण्ड परिशिष्ट 5 पर संलग्न है।

प्लास्टिक मल्व, लॉ-टनल अनुदान प्रक्रिया:

1. कृषक द्वारा अनुदान हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
2. प्लास्टिक मल्व/ला-टनल लगवाये जाने हेतु कृषक को प्रार्थना पत्र के साथ कृषक हिस्सा राशि जमा कराई जानी होगी एवं फर्म का कोटेशन भी लगाना अनिवार्य होगा।

3. जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने पर कृषक द्वारा प्लास्टिक मल्ल/लॉ-टनल टनल लगवाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
4. कार्य पूर्ण होने की सूचना जिला कार्यालय को देने के उपरान्त जिला अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा कार्य का भौतिक सत्यापन किया जावेगा एवं भौतिक सत्यापन के उपरान्त कृषक का सहमति पत्र होने की दशा में अनुदान राशि सीधे एम्पेनल फर्म को दी जा सकेगी।

4. वर्मीकम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना :

जैविक आदान उत्पादन हेतु 30 फीट X 8 फीट X 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50000/- रुपये प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान देय है। एच.डी.पी.ई. वर्मी बेड इकाई (12 फीट X 4 फीट X 2 फीट आकार) IS 15907:2010 स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 8000/- रुपये प्रति इकाई आकार अनुसार यथानुपात अनुदान देय है।

कृषक चयन:

1. जैविक आदान उत्पादन हेतु जैविक खेती के लिये चयनित कृषक/क्षेत्र के कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।
2. कृषक के पास न्यूनतम 0.4 हैक्टेयर स्वयं की भूमि पर बागवानी फसलों की खेती किया जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा पर्याप्त पशुधन, पानी एवं कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता हो।

(क) वर्मी कम्पोस्ट इकाई/जैविक आदान उत्पादन:

1. वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना के लिये 30 फीट X 8 फीट X 2.5 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना पर अनुदान देय होगा।
2. शेड में काम में आने वाली सामग्री स्थानीय उपलब्धता के अनुसार स्टील, एस्बेस्टास शीट, पट्टी से बनायी जा सकती है। इसके लिये स्थाई प्रकृति की छाया सामग्री उपयोग में ली जावे।
3. पक्के शेड की ऊंचाई बीच में कम से कम 10 फिट और किनारे से 8 फिट हो।
4. एक इकाई के लिये कम 60 किलों केंचुए उपलब्ध कराये जावे।
5. केंचुए एटीसी, रजिस्टर्ड गैर सरकारी संस्थान/गौशाला आदि से ही प्राप्त किये जावे।
6. प्रत्येक बेड में 400-400 ग्राम ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एजोटोबेक्टर कल्चर एवं 1.0 किलो ग्राम नीम की खल प्रयोग में ली जावे।
7. वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिये सहायक सामग्री जैसे- कुट्टी की मशीन, दांतली, पंजा झाजा, पाईप, फावड़ा, परात आदि उपकरण भी उपलब्ध कराये जावे।
8. जिला अधिकारी या उसके प्रतिनिधि कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा इकाई के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान जारी किया जावे।
9. आवेदक को अनुदान राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जावे।
10. वर्मी कम्पोस्ट इकाई को कम से कम तीन वर्ष तक नियमित रूप से चलाये रखने के लिये 10 रुपये के स्टाम्प पर का शपथ-पत्र लिया जावे।
11. अनुदानित इकाई स्थल पर स्थाई रूप से कृषक का नाम, पिता का नाम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन अन्तर्गत अनुदानित वर्मी कम्पोस्ट इकाई एवं अनुदानित वर्ष अंकित कराया जावे। कार्यशील इकाई का फोटोग्राफ कार्यालय रिकॉर्ड में संधारित करके रखा जावे।

(ख) एच.डी.पी.ई वर्मी बेड:

1. एच.डी.पी.ई.वर्मी बेड (IS 15907:2010) का आकार 12 फुट लम्बाई व 4 फुट चौड़ाई एवं 2 फीट गहरा होना चाहिये।
2. वर्मी बेड के उपर छाया की व्यवस्था
3. वर्मी बेड एक इकाई के लिये 10 किलों केंचुए उपलब्ध कराये जावे।

4. कृषक द्वारा निर्धारित साइज व IS 15907:2010 की वर्मी बेड लिये जाने पर अनुदान राशि का भुगतान कृषक को RTGS के माध्यम से किया जा सकेगा। अनुदान राशि का भुगतान कृषक से बिल प्राप्त होने के 15 दिवस में आवश्यक रूप से किया जावे।
5. प्रत्येक कृषक को वर्मी कम्पोस्ट इकाई/एच.डी.पी.ई वर्मी बेड में जैविक आदान उत्पादन की तकनीकी जानकारी दी जावे ।

5. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (Human Resource Development Programme):

मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों, फील्ड स्तर के कार्मिकों व अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम सम्मिलित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु 1000/- रुपये प्रति कृषक व्यय की जा सकेगी।

कृषक प्रशिक्षण (Farmers Training)

सामान्य निर्देश:

1. प्रशिक्षण प्रावधान अनुसार दो दिवसीय होंगे व प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 50 कृषक भाग लेंगे।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि अनुसंधान केन्द्र/एटीसी/या अन्य स्थान जहां प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं पर आवंटित लक्ष्यों के अनुसार आयोजित करवाया जावे।
3. प्रशिक्षण के समय व तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे। राजस्थान हॉर्टिकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रशिक्षण आयोजन की तिथि की सूचना दी जावे।
4. फसल/विषय विशेष पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषकों को विषयवस्तु की गहनता से जानकारी दी जावे।
5. प्रशिक्षण एक से अधिक दिन की अवधि का होने पर कृषकों को रात्री विश्राम प्रशिक्षण स्थल पर ही कराया जावे। कृषकों को रात्री में विडियो फिल्मस प्रदर्शन के माध्यम से भी कृषि तकनीक की जानकारी दी जावे।
6. जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन हेतु वित्तीय प्रावधानों का मदवार विवरण जिला स्तर पर बनाया जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जावेगें।
7. प्रशिक्षण के दौरान किसी एक मद के व्यय में बचत आती है तो दूसरे मद में आवश्यकता होने पर बचत राशि काम में ली जा सकती है किन्तु इस बात का ध्यान रखा जावे कि प्रशिक्षण व्यय निर्धारित राशि से अधिक नहीं होवे।
8. जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु सार्केतिक माडल परिशिष्ट 6 पर संलग्न है।

कृषक चयन:

1. कृषक चयन संबंधित जिले के उप/सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जावे। कृषक चयन में नये फल बगीचे अन्य कार्यक्रम लेने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।
2. प्रशिक्षणों के द्वारा समय-2 पर यथासम्भव जिले सभी क्षेत्र के कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे। फसल विशेष के प्रशिक्षण में प्रगतिशील कृषक जिनके द्वारा उक्त फसल ली जा रही है तथा अन्य कृषक जिनको उद्यानिकी फसलों हेतु प्रेरित किया जा सके को सम्मिलित किया जावे।
3. कृषकों के चयन में कुछ ड्रिप सिस्टम अपनाने वाले कृषकों का समावेश किया जावे, ताकि आपसी संवाद से इसकी उपयोगिता को समझ सके।
4. पशुपालन एवं डेयरी के व्यवसाय से जुड़े कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने वाले कृषकों को भी शामिल किया जावे।
5. ऐसे कृषक जो विभाग द्वारा पूर्व में इस विषय पर प्रशिक्षित किये जा चुके हों, को सम्मिलित नहीं किया जावे।

प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने वाले व्याख्यान बिन्दु:

प्रशिक्षण में संबंधित तकनीकी विषय के साथ-साथ जमीन, जल एवं जन से जुड़े विषयों पर जानकारी दी जावे। प्रत्येक प्रशिक्षण में निर्धारित विषय के साथ उस क्षेत्र की मुख्य-मुख्य उद्यानिकी फसलों के लिये जल प्रबंधन, कीट व्याधी नियंत्रण, फसलोत्तर प्रबंधन एवं बीज उत्पादन आदि के साथ निम्न बिन्दुओं के बारे में भी सामान्य जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जावे।

1. मिट्टी की जांच की आवश्यकता, फसलचक्र की आवश्यकता एवं उससे लाभ, भूमि सुधार, जीवाणु खाद, हरीखाद, जिप्सम, सूक्ष्मत्व, ट्राईकोड्रमा, राइजोबियम, एजेक्टोबेक्टर एवं पीएसबी का प्रयोग।
2. जल पुनर्भरण, जल उपलब्धता एवं उसका समुचित उपयोग ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्रों का महत्व (सिंचाई विभाग के अधिकारियों, ड्रिप, फव्वारा निर्माता द्वारा पी.एच., ई.सी. जमीन से जल का रिश्ता)।
3. उद्यानिकी फसल उत्पादन
4. कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा देय सुविधायें।
5. रोग, उनसे बचाव एवं रोकथाम की जानकारी।
6. पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, पौष्टिक आहार, रोग उनसे बचाव एवं रोकथाम की जानकारी।
7. सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी।
8. प्रशिक्षण दौरान प्रगतिशील कृषकों के भी विचारों की जानकारी उक्त कृषकों को दी जावे।

नोट: प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कृषकों का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर जिले के सहायक निदेशक उद्यान/उप निदेशक कृषि (वि) कार्यालय में रखे जावे तथा समय-समय पर उनसे दूरभाष पर सम्पर्क भी किया जावे, जाकि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र हो सके।

6. फसल तुड़ाई उपरांत प्रबंधन (Post Harvest Management):

कम्पोनेन्ट	अनुमानित लागत	अनुदान
पैक हाउस/खेत संग्रहण इकाई (9 मीटर X 6 मीटर)	रूपये 4.00 लाख प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत
कम लागत प्याज भण्डारण संरचना (25 मै.टन)	रूपये 1.75 लाख प्रति इकाई	लागत का 50 प्रतिशत

क. पैक हाउस :

सब्जी एवं फलदार फसलों के उत्पादन को उचित तरीके से पैक कर बाजार में भिजवाये जाने हेतु पैक हाउस की स्थापना के लिए योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है—

1. कृषक जो कम से कम 1 हैक्टेयर क्षेत्र में सब्जी उत्पादन या 1 हैक्टेयर क्षेत्र में तीन वर्ष से पुराना फल बगीचा स्थापित हो एवं पैक हाउस लगाकर उद्यानिकी फसलों की ग्रेडिंग एवं पैकिंग करना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जा सकेगा।
2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम एक पैक हाउस के लिये अनुदान देय होगी।
3. पैक हाउस की निर्माण लागत 4.00 लाख निर्धारित की गई है जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
4. पैक हाउस निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना-पत्र के साथ कृषक को भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगे जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
5. पैक हाउस निर्माण पत्रावली पर कृषक का पैक हाउस के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
6. पैक हाउस का निर्माण कृषक के द्वारा स्वयं किया जावेगा। पैक हाउस की निर्माण एवं पैक हाउस हेतु आवश्यक उपकरण की सांकेतिक लागत का माडल परिशिष्ट 7 पर संलग्न है।
7. पैक हाउस निर्माण के पश्चात भौतिक सत्यापन हेतु जिला स्तर पर गठित कमेटी जिसमें सदस्य सचिव, जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, कृषि अधिकारी एवं सहायक कृषि अधिकारी शामिल होंगे के द्वारा किया जावेगा।
8. उक्त कमेटी की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर लाभार्थी को अनुदान की राशि RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।
9. पैक हाउस पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

ख. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना :

1. कृषक जो प्याज की खेती कर रहे हैं एवं कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण करना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जा सकेगा।
2. प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम एक संरचना के लिये अनुदान/सहायता देय होगी।
3. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना की निर्माण लागत 1.75 लाख निर्धारित की गई है जिस पर 50 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 0.875 लाख अधिकतम सहायता का प्रावधान है। यह निर्माण स्थायी प्रकृति का होगा।

4. आवेदन कृषक के स्वयं के नाम भू स्वामित्व होना आवश्यक होगा।
5. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण के लिये अनुदान प्रार्थना-पत्र के साथ कृषक को भूमि संबंधी दस्तावेज संलग्न करने होंगे, जिसके आधार पर जिला कार्यालय द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
6. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण की पत्रावली पर कृषक संरचना के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण कृषक के द्वारा स्वयं किया जावेगा। कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना की निर्माण की डिजाईन एवं सांकेतिक लागत का विवरण परिशिष्ट 8 एवं 9 पर संलग्न है।
8. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना का निर्माण के पश्चात भौतिक सत्यापन हेतु जिला स्तर पर गठित कमेटी जिसमें सदस्य सचिव, जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी, कृषि अधिकारी एवं सहायक कृषि अधिकारी शामिल होंगे के द्वारा किया जावेगा।
9. उक्त कमेटी की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर लाभार्थी को अनुदान की राशि RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी।
10. कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना पर कृषक का नाम व पूर्ण पता, स्थापित वर्ष, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुदानित इत्यादि की जानकारी का बोर्ड लगवाया जाना अनिवार्य होगा।

6. विपणन (Markets)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों एवं अनुदान का विवरण निम्नानुसार है—

अनुदान मापदण्ड:

1. खुदरा बाजार (Retail Market) :

यह कार्यक्रम शहरी क्षेत्रों में सब्जियों के विपणन हेतु नियंत्रित वातावरण में खुदरा बाजार स्थापित करने के लिए है। इस कार्यक्रम अन्तर्गत सहायता क्रेडिट लिंक बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप (जमा से जुड़ी वापिसी आर्थिक सहायता) देय होगी।

इस कार्यक्रम अन्तर्गत इकाई लागत 15.00 लाख निर्धारित की गई है जिस पर लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 5.25 लाख का अनुदान देय है। इस कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमियों अथवा लाभार्थियों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव मय बैंक के ऋण के अनुमोदन पत्र के साथ जिला होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी के माध्यम से राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी को प्रस्तुत किये जावेंगे। राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।

प्रशासनिक स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात संबंधित लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के अनुसार कार्य पूर्ण किया जावेगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात राजस्थान होर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी द्वारा गठित कमेटी के भौतिक सत्यापन के पश्चात कमेटी की अनुशंसा पर अनुदान राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानान्तरित किया जावेगा।

2. स्टेटिक/ मोबाईल वेन्डिंग कार्ट प्लेटफॉर्म (कूल चेम्बर सहित): इस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश निम्नानुसार है—

- कृषकों / लाभार्थियों के चयन में उन कृषकों को प्राथमिकता दी जावे जो कृषक योजनान्तर्गत Farmer Producer Organisation अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं।
- योजना कार्यक्रमों का कृषकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे सब्जी फसलों के विक्रय में संलग्न कृषकों को चयन में प्राथमिकता दी जावे।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं को जोड़कर रखा जावे।
- कार्यक्रम के लिये चयनित कृषकों/लाभार्थी को अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने होंगे।
- कृषक/व्यक्तिगत लाभार्थी जो वेन्डिंग कार्ट में माध्यम से सब्जी फसल बेचना चाहता है उसे लाभार्थी मानते हुये अनुदान दिया जा सकेगा। लाभार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक होगा जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम एक वेन्डिंग कार्ट के लिये अनुदान/सहायता देय होगी।
- वेन्डिंग कार्ट की अधिकतम लागत 30000/- प्रति कार्ट से अधिक नहीं होगी। इस पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 15000/- प्रति कार्ट की दर से अनुदान देय होगा।
- वेन्डिंग कार्ट को विभागीय रजिस्टर्ड कम्पनियों के माध्यम से कय किया जाना आवश्यक होगा।
- वेन्डिंग कार्ट पर "उद्यान विभाग से अनुदानित" लिखवाया जाना अनिवार्य होगा।

- वेन्डिंग कार्ट विभागीय स्पेशिफिकेशन के अनुसान होना आवश्यक होगा, जो कि सलंगन किये जा रहे हैं। (परिशिष्ट 10)
- वेन्डिंग कार्ट के क्रय के पश्चात् पत्रावली पर कृषक का वेन्डिंग कार्ट के साथ फोटो लगाया जायेगा तथा बिल इत्यादि पर कृषक/लाभार्थी के हस्ताक्षर करवाने होंगे। इसे भौतिक सत्यापन करते समय सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि किसी कृषक को बैंक से ऋण की आवश्यकता हो तो इसके लिए एलओआई सहायक निदेशक उद्यान अपने स्तर से ही दे सकेंगे।
- अनुदान का भुगतान लाभार्थी की लिखित सहमति के आधार पर सीधे ही वेन्डिंग कार्ट उपलब्ध कराने वाली कम्पनी को किया जायेगा। इस प्रकार कृषक को अपनी कृषक हिस्सा राशि निर्माता कम्पनी को देनी होगी तथा कम्पनी द्वारा उसकी प्राप्ति रसीद कृषक को दी जावेगी।
- कृषक द्वारा वेन्डिंग कार्ट क्रय की सूचना के साथ पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत अधिकतम 10 दिवस में अनुदान का निस्तारण करना होगा।
- जिला कार्यालय द्वारा सत्यापन उपरांत अनुदान क्लेमस् का भुगतान आरटीजीएस द्वारा सुनिश्चित किया जावे।
- कृषक चाहे तो इम्पेनल फर्म से शत प्रतिशत लागत पर वेन्डिंग कार्ट क्रय कर अनुदान के क्लेमस् विभाग को प्रस्तुत कर सकेंगे, ऐसे में विभाग द्वारा कृषक को अनुदान राशि आरटीजीएस के द्वारा भुगतान की जावेगी।
- इस कार्यक्रम के अर्न्तगत स्वीकृत अनुदान राशि आरटीजीएस के माध्यम से कार्यालय से जारी होने की दिनांक से अधिकतम सात दिवस में संबंधित कृषक/ लाभार्थी को भुगतान करने होंगे।

7. सेमीनार/वर्कशॉप (Seminar/ Workshop):

विभिन्न उद्यानिकी कार्यक्रमों की कृषकों को अधिक से अधिक जानकारी देने एवं उद्यानिकी गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उद्यमियों को कृषकों से जोड़े जाने के लिये राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय सेमीनार/वर्कशॉप्स का आयोजन किया जाना है। सेमीनार/वर्कशॉप का आयोजन जिला विशेष की आवश्यकता के मध्येनजर विषय का चयन किया जाकर किया जा सकेगा। इस हेतु आवश्यक सार्केतिक माडल परिशिष्ट 11 पर संलग्न है।

वेजीटेबल इनिशियेटिव फॉर अर्बन कलस्टर योजना आवेदन प्रपत्र

उप/सहायक निदेशक उद्यान एवं सदस्य सचिव,
होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी
जिला

आवेदक का फोटो

विषय :-वेजीटेबल इनिशियेटिव फॉर अर्बन कलस्टर उपयोजना अन्तर्गत अनुदान/
सहायता प्राप्त करने हेतु।

महोदय,

मैं उद्यानिकी विकास हेतु वेजीटेबल इनिशियेटिव फॉर अर्बन कलस्टर उपयोजना के तहत अनुदानित/
सहायता आधारित कार्यक्रम लेना चाहता हूँ। विवरण निम्न प्रकार है-

1. कृषक/संस्था/आवेदक का नाम:.....
2. पिता का नाम:
3. कृषक श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य):.....
4. संस्था का प्रकार, यदि लागू है (सरकारी/पंजीकृत):.....
5. पूर्ण पता: ग्राम..... ग्राम पंचायत.....
तहसील..... जिला.....
6. दूरभाष नम्बर.....
7. मोबाईल नम्बर.....
8. कार्यक्रम का नाम जो लेना है:.....
9. आवेदक/कृषक के नाम कुल भूमि (हैक्टर):.....
10. खसरा नम्बर जिसमें कार्यक्रम/गतिविधि लेनी है:.....
11. कार्यक्रम/गतिविधि का क्षेत्रफल या संख्या:.....
12. सिंचाई का साधन:डीजल इंजन/मोटर हॉर्स पावर:.....
13. मिट्टी व पानी की जॉच रिपोर्ट: (यदि आवश्यक हो तो):.....

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना सही है । योजना अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम की कृषक हिस्सा राशि मैं स्वयं वहन करूंगा व कार्यक्रम/गतिविधि किसी अन्य को हस्तान्तरित या बेचना नहीं करूंगा। मैं यह सत्यापित करता हू की मैंने इस कार्यक्रम के लिये किसी अन्य संस्था या योजना से सहायता प्राप्त नहीं की है ।

दिनांक:

हस्ताक्षर कृषक/संस्था प्रभार

आदान परमिट प्रपत्र

प्रबन्धक,

क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति
ग्राह्य परीक्षण केन्द्र/ आईपीएम प्रयोगशाला

विषय: अनुदानित दर पर आदान उपलब्ध कराने बाबत।

कृषक श्रीपुत्र श्री.....
जाति..... ग्राम..... पंचायत समिति जिला.....
..... को वेजीटेबल इनिशिएटिव फॉर अरबन कलस्टर उपयोजना के
कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिशत अथवा राशि रुपये प्रति
हैक्टेयर के हिसाब से अनुदानित दर पर कृषक हिस्सा राशि प्राप्त कर निम्न आदान उपलब्ध करावें।

क्र.स.	आदानों के नाम	आदान कुल मात्रा मय पैकिंग साईज
1.	उर्वरक/पोषक तत्व/बीज 1. 2. 3. 3.	
2.	पौध संरक्षण रसायन/बायो पैस्टीसाइड 1. 2. 3. 4.	

- बिल के पृष्ठ भाग पर हस्ताक्षर करवाकर आदान कृषक को स्वयं को उपलब्ध करावें।
- अनुदान क्लेमस के भुगतान हेतु 15 दिवस में बिल मय कृषक सूची प्रस्तुत करावें।
- कृषक द्वारा शत प्रतिशत राशि जमा कराकर आदान प्राप्त करने पर तीन प्रतियों में बिल उपलब्ध करावें, ताकि वह विभाग को अनुदान के क्लेमस प्रेषित कर सके।

हस्ताक्षर

कृषक हस्ताक्षर

कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी
मुख्यालय.....

Annexure-3**Specification for Poly House:**

Height of Gutter – 4.5 m
 Total Height of greenhouse- 6.5 m
 Height of top Vent- 1m
 Bay Size- 8 X 4 m
 Corridors - 2 m from all sides

(a) Frame components (GI pipes):

S. No.	Description	Specification
1.	Main Column	76 mm OD & 2 mm thick (@ 3.75 kg per meter)
2.	Small column along length	76 mm OD & 2 mm thick (@ 3.75 kg per meter)
3.	Small Column along width	76 mm OD & 2 mm thick (@ 3.75 kg per meter)
4.	Foundation Stub	60 mm OD & 3.0 mm thick (@ 4.20 kg per meter)
5.	Corridor along length	60 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.85 kg per meter)
6.	Corridor along width	60 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.85 kg per meter)
7.	Small bottom chord along length	60 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.85 kg per meter)
8.	Small bottom chord along width	60 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.85 kg per meter)
9.	Big Bottom chord	60 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.85 kg per meter)
10.	End Purlin	48 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.3 kg per meter)
11.	First top purlin	48 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.3 kg per meter)
12.	Second top purlin	48 mm OD & 2.0 mm thick (@ 2.3 kg per meter)
13.	4 Mtr. gutter purlin	43 mm OD & 2 mm thick (@ 2.10 kg per meter)
14.	Curtain runner	43 mm OD & 2 mm thick (@ 2.10 kg per meter)
15.	6 mtr. gutter purlin	43 mm OD & 2 mm thick (@ 2.10 kg per meter)
16.	Horizontal member	43 mm OD & 2 mm thick (@ 2.10 kg per meter)
17.	Big arc at end	43 mm OD & 2 mm thick (@ 2.10 kg per meter)
18.	Big arc	43 mm OD & 2 mm thick (@ 2.10 kg per meter)
19.	Small arc	43 mm OD & 2 mm thick (@ 2.10 kg per meter)
20.	Knee Bracing and Small Inclined	33 mm OD & 2.0 mm thick (@ 1.60 kg per meter)
21.	Big Inclined strut	33 mm OD & 2.0 mm thick (@ 1.60 kg per meter)
22.	Top chord runner in last bay	33 mm OD & 2.0 mm thick (@ 1.60 kg per meter)
23.	Cross Bracing	33 mm OD & 2.0 mm thick (@ 1.60 kg per meter)
24.	Curtain pipe	27 mm OD & 2.0 mm thick (@ 1.30 kg per meter)
25.	Curtain pipe handle	27 mm OD & 2.0 mm thick (@ 1.30 kg per meter)
26.	Flap control pipe	21 mm OD & 2.0 mm thick
27.	Vent stay	21 mm OD & 2.0 mm thick

(b) Fixtures and accessories:

S. No.	Description	Specification
1.	Angle Bracket	ISA 40 X 40 X 3
2.	Full angle Cleat	ISA 40 X 40 X 3
3.	Half angle Cleat	ISA 40 X 40 X 3
4.	Flat Patti	25 MM X 5 MM
5.	76 ID Full Clamp	45 mm Width & 2.0 mm thick
6.	76 ID Half Clamp	45 mm Width & 2.0 mm thick

7.	60 ID Full Clamp	45 mm Width & 2.0 mm thick
8.	70 ID Half Clamp	45 mm Width & 2.0 mm thick
9.	43 ID Full Clamp	45 mm Width & 2.0 mm thick
10.	43 ID Half Clamp	45 mm Width & 2.0 mm thick
11.	T-Fixtures	33 mm OD & 2.0 mm thick
12.	L-Fixtures	33 mm OD & 2.0 mm thick
13.	Curtain Clamp	45 mm Width & 2.0 mm thick
14.	Universal Joint	20 mm sq. bar
15.	Stud Cover	21 mm OD & 2.0 mm thick
16.	Curtain Pipe Insert	21 mm OD & 2.0 mm thick
17.	Self Trapping Screw	20 mm length
18.	Bitumen Washer	3.0 mm thick
19.	Spring Insert (Plastic Coat)	2.3 mm dia.
20.	Spring Insert (Plating)	2.3 mm dia.
21.	M 10 X 125	10 mm dia.
22.	M 10 X 100	10 mm dia.
23.	M 10 X 90	10 mm dia.
24.	M 10 X 40	10 mm dia.
25.	M 10 Nuts	10 mm dia.
26.	M 10 washers	10 mm dia.
27.	M 8 X 200	8 mm dia.
28.	M 8 X 90	8 mm dia.
29.	M 8 X 65	8 mm dia.
30.	M 8 Nuts	8 mm dia.
31.	M 8 washers	8 mm dia.
32.	M 6 X 75	6 mm dia.
33.	M 6 X 20	6 mm dia.
34.	M 6 Nuts	6 mm dia.
35.	M 6 washers	6 mm dia.
36.	GI Wire 2 mm	2 mm dia.
37.	GI Wire 3.14 mm for Apron	3.14 mm dia.
38.	Pulley with clamp HDPE/ MS	40 mm dia.
39.	Rings stainless steel	20 mm dia.
40.	Nylon Rope	8 mm dia.

(c) Door assembly:

Entry Room (2 door of Aluminium and poly carbonate mix)		
S. No.	Description	Specification
1.	Entry room size	4 m x 4 m, 4 m x 3 m, 3 m x 3 m
2.	No of doors	02 (inner door may be of frame stitched with 40 mesh insect net of minimum 50 cm overlapping)
3.	Door size	3 m x 3 m; Door of wire gauge angle framed
4.	Frame of door (ISA four sides to cover the gap below the door)	Galvanized
5.	Half part of door (Downside)	Aluminium sheet
6.	Upper half part of door	Poly carbonate sheet 5 mm thick
7.	Flooring	50 mm PCC flooring over 75 mm thick sub base
8.	Foot wash basin	2 feet x 3 feet x 0.5 feet depth near outer door inside entry room
9.	G Section	3.7 m. Long 40x40m and 5.5 mtr. Long minimum

10.	Roller	Should slide easily in g section
11.	Bottom Pipe	60 mm OD & 2.0 mm thick
12.	Top Pipe	60 mm OD & 2.0 mm thick
13.	Door Support	43 mm & 33 mm OD, 2.0 mm thick
14.	Door Corridor	33 mm OD & 2.0 mm thick
15.	Pipe Half Cut Slider	60 mm OD & 2.0 mm thick
16.	Hinges	60 mm OD & 2.0 mm thick

(d) Profile and gutter:

PROFILE AND GUTTER			
S. No.	Part Name	Specification	Description
1.	Profile	Aluminium profile OR GI Profile	200 to 220 gr per running m 300 gr per running m
2.	Gutter, 1-1.5% slope, max. gutter length 40 m.	Plastic drainage sheet (Single piece) OR GI drainage sheet 1.2 mm supported by gutter purlins (Single piece, if supported on arch)	Virgin, UV stabilized 1.4 mm thick and 600 mm wide 500 mm wide
3.	Zigzag spring insert	High carbon steel wire for repeated action, 2.3 mm dia	GI spring over 2 inch strip of new poly film over the main plastic in profile. (25% over lapping)

(e) Polythene:

The applicant firm/manufacturer should submit details of make (s) and quality parameters of the polythene sheet to be used in green house and tie-up with polythene supplier (s) on Rs. 100/-Non Judicial stamp paper along with necessary documents regarding quality assurance and specifications of the polythene sheet.

Polythene specifications	
Description	Specification
Multi-layered Polythene such as Ginegar, Agripolyane, Plastica Kritis, Soloplast, Polytive, Essen Multipack Ltd., Vatan plastic' poly film - Turkey	Fixed properties - 200 micron thick, UV stabilized, Thermic, diffused, Anti dust, Anti drip, IR Reflective cooling Optional property - Anti sulphur for the crops where sulphur consumption is high. For ex - rose cultivation (As per farmer choice)

(f) Shade net and Insect net:

40 Mesh Insect Net with 115 – 120 GSM Under curtain
50 % Manually movable White Shade net with 100 GSM (On top underneath polythene)
35% or 50% Shade net with 115-120 GSM on each top ventilation
40 mesh insect net 115 to 120 GSM fitted at each side curtain

(g) The foundations – Telescopic type. A pit of 60 cm x 60 cm x 75 cm depth to be filled with concrete in a ratio of 1:2:4 after completing the foundations, 10 days of curing is must.

(h) Irrigation System:

- 1) Filter Unit with platform – Sand + Disc Filter 2" , PRV 2" , ARV 2" , Ventury 2" , Pressure gauge with GI fitting accessories.
- 2) PVC Control Valve 2" – All valve will be installed at one place.
- 3) Inline 16mm/cl-2-2.1lph/30 c.m. - Used only PCND inline 02 nos. for each bed.
- 4) Drip lateral 16mm/cl-2 – Lateral must be fixed with GI wire on top and 4 way Fogger should be installed at 2.5 x 2.5 mtr. Spacing.
- 5) Micro sprinkler 40 to 100 lph at each top vent of Green house at 4.0 mtr spacing
- 6) Automation for fogger and micro sprinkler but power supply for controller and pump are farmer responsibility
- 7) Provide Silver – Black 30mic Mulch for each bed.

(i) General Terms and Conditions:

- 1) No pipes should be found welded except long bottom pipe (8 m length). Rest all length GI pipes are available in the market.
- 2) The white shade net 50% to be used at the top inside the poly house.
- 3) The apron height must be 1.25 to 1.5 m from ground.
- 4) The apron plastic must be buried in the ground at least 30 cm from ground level.
- 5) The curtain pipe should be cut near the door in case door is placed at the centre of the side wall.
- 6) 40 mesh insect net to be used to all the four sides of a poly house.
- 7) The main column and small column must touch the concrete of the foundation and the foundation pipe should not be visible. In other words, the foundations should be leveled.
- 8) Supplier should ensure pre-check of green house construction materials for specifications by district officer after supply of materials at site and before erection.
- 9) If fixtures found rusted the structure will be considered incomplete.
- 10) In case of top polyfilm fitted to the arches, if the length of top is more than 30 m, then the top plastic to be fitted to arch at every 24 m length by using profile and zig zag spring to avoid flapping of top plastic during winds.
- 11) Self-drilling screw in profile should not be more than 30 cm apart
- 12) While installing the multilayer film, first insure that respective layers are facing the right direction as shown on film (e.g. inside out)
- 13) Provide a sample of one sqm size of polyfilm having manufacturer's identification mark along with batch no.
- 14) Film should be tensioned tightly enough so that there should not be flapping during windy days.
- 15) The structural design should be sound enough to withstand wind velocity of 120 km/hr.
- 16) The overall structure should perform satisfactorily in all respects.
- 17) The logo, brand name and batch no with code number must be printed at every meter distance on poly films that should not get washed easily.

(j) Documents to be submitted by bidder during empanelment –

- 1) Letter from Manufacturer of polyfilm (Not from distributor or trader) mentioning the properties that a polyfilm possess and as mentioned in above document with its code number
- 2) Warranty letter from the Manufacturer (Not from distributor or trader) for poly film, shade net and insect nets - 3 years
- 3) Certificate from CIPET for plastic gutters by Manufacturer
- 4) Technical Data Sheet (TDS) Certificate from the manufacturer for Poly films, shade nets and insect nets

Name of the crop – Rose

S. No.	Particular	Specification
1	Crop	Rose
	Bed size 1. Bottom width	1.0 m
	2. Top width	0.9 m
	3. Path way between two bed	0.5 m
3	Two laterals on each bed	16mm
	System Type	Inline about 2lph
	Spacing between two drippers	0.30 m
4	Cooling system	Misters of 10-35 lph
	One lateral for misters on each bed	16mm
	Spacing between two misters	1.0 m
	Height of mister stand from bed surface	0.3m

Name of the crop - Gerbera

S. No.	Particular	Specification
1	Crop	Gerbera
2	Bed Size	
	1. Bottom width	0.70 m
	2. Top width	0.60 m
3	3. Path way between two bed	0.50 m
	Two laterals on each bed	16mm
	System Type	Inline about 2lph
4	Spacing between two drippers	0.30 m
	Cooling system	Foggers Four way with anti leak valve 10-35lph
	Spacing between two lateral	2.5 m
	Spacing between two Foggers	2.5 m

Name of the crop – Vegetables (Capsicum)

S. No.	Particular	Specification
1	Crop	Vegetable (Capsicum)
2	Bed Size	
	1. Bottom width	1.00 m
	2. Top width	0.90 m
	3. Path way between two bed	0.50 m
3	Two laterals on each bed	16mm
	System Type	Inline about 2lph
	Spacing between two drippers	0.30 m
4	Cooling system	Foggers Four way with anti leak valve 10-35lph
	Spacing between two lateral	2.5 m
	Spacing between two Foggers	2.5 m

- a) Control Head Unit – It should contain Mains, Filtration unit, Fertigation unit (Ventury, fertigation tank, fertilizer pump), Valves like VRV, ARV, control valve fittings etc. The mains and sub- mains should be of PVC and should be buried at least 2.5 feet below the ground.

1. Specification for Shade Net House (Round Type):

Round type top roof structure with 8.0 mtr. x 4.0 mtr. Grid

Total galvanized and nut bolted structure

Side height of structure will be 4.0 mtr.

Total / ridge height of structure will be 5.0 mtr.

a) Main Parts:

FRAME COMPONENTS (GI PIPES)			
S. No.	Pipe Description	Pipe OD in mm	Thickness in mm
1	Main Column	60	2
2	Straight Corridor	60	2
3	Bottom Cord	60	2
4	Foundation Stub	48	3
5	End Purlin	43	2
6	Middle Purline	43	2
7	Horizontal Member	43	2
8	Truss Middle Sport	33	2
9	Arc	43	2

b) Other Parts:

S. No.	Name of the parts	specifications
1.	Profile	C Shaped Aluminium profile with min. weight 200 gm per running meter length
2.	Zigzag spring	High carbon steel wire for repeated action, 2.3 mm dia
3.	Flat	Cold Galvanised (Electroplated)
4.	60 OD Full clamp	GI Coil width 45 mm thickness 2 mm
5.	60 OD Half clamp	GI Coil width 45 mm thickness 2 mm
6.	33 OD half clamp	GI Coil width 45 mm thickness 1.6 mm
7.	25 ID Full clamp	GI Coil width 45 mm thickness 1.6 mm
8.	Self Tapping Screw	-
9.	Spring insert	High Carbon Steelwire, 2.3 mm dia
10.	M 10 X80	Cold Galvanised (Electroplated)
11.	M 10 X40	Cold Galvanised (Electroplated)
12.	M 10 Nut	Cold Galvanised (Electroplated)
13.	M 10 Washer	-
14.	M 6 x 50	Cold Galvanised (Electroplated)
15.	M 6 Nut	Cold Galvanised (Electroplated)
16.	M 6 Washer	-
17.	Door Assembly	3m x 3m With entry room 4 x 3 mtr. With double curtain
18.	The foundations	Telescopic type. A pit of 60 cm x 60 cm x 75 cm depth to be filled with concrete in a ratio of 1;2;4 after completing the foundations, 10 days of curing is must.

c) Shade Net:

- 50 % Shade net / 40 mesh insect net with 115 to 120 GSM to the all four sides
50 % movable Shade net with 100 GSM on top from inside.
50 % mono shade net to be fitted on top
- Colour – Green / White / Green black / Red as required by farmer.

d) Door assembly (1 Door of 3m x 3 mtr and Entry Room 4x3 mtr with double curtain)

S. No.	Description	Specification
1	G Section	40x40m and 5.5 mtr. Long minimum
2	Roller	Should slide easily in G section
3	Top Pipe	60 mm OD & 2.0 mm thick
4	Door Support	43 mm & 33 mm OD, 2.0 mm thick
5	Door Corridor	33 mm OD & 2.0 mm thick

2. Specification of Irrigation System in Green house (Tubular) and Shade net house:

- 1) Filter Unit with platform – Sand + Disc Filter 2" , PRV 2" , ARV 2" , Ventury 2" , Pressure gauge with GI fitting accessories.
- 2) PVC Control Valve 2" – All valve will be installed at one place.
- 3) Inline 16mm/cl-2/2.1lph/30 c.m. - Used only PCND inline 02 nos. for each bad.
- 4) Drip lateral 16mm/cl-2 – Lateral must be fixed with GI wire on top and 4 way Fogger should be installed at 2.5 x 2.5 mtr. Spacing.
- 5) Automation for fogger but power supply for controller and pump are farmer responsibility (use Automation with solar pump)
- 6) Provide Silver – Black 30mic Mulch for each
- 7) One year Insurance premium should be provide by supplier.

Annexure -4**Specification of Low Tunnels:**

- GI rod in round shape , 2 metre length and 6 mm diameter
- No of pieces- 165 per 1000 Sqm.
- Poly ethylene plastic sheet:

Thickness	Tensile Strength (M.D.)	Tensile Strength (T.D.)	Elongation (M.D.)	Elongation (T.D.)	Dart Impact Strength	U.V. Stability
25 micron	110 kg/cm ²	90 kg/cm ²	250%	350%	100 gf	4 months
50 micron	150 kg/cm ²	130 kg/cm ²	300%	450%	150 gf	12 months

Annexure-5**Specification of plastic mulch:**

- Plastic Mulch dimension:

Particulars	Specifications
Width	75 cm. to 2.00 metre
Thickness	25 micron to 150 micron
Length of rolls	400 m to 1000 m
Color	Silver - on - Black (for virus sensitive crops) White-on-Black (for temperate crops) Black-on-Black (for high weeds control in perennial crops or orchards)

- Plastic Mulch UV stabilization specification:

Particulars	Specifications
25 micron	9 months life for 1 crop of 6-8 months crops
30 micron	12 months life for 1 or 2 uses in 6 months crops
50 micron	15 months life for 1 or 2 uses in 6-8 months crops
50 to 100 micron	18 months life for 1 or 2 uses in 12-14 months crops
150 micron	24 months life for 2 or 3 uses in 12-14 months crops
200 micron	48 months life for perennial crops or orchard plantations

- Physical properties of Plastic Mulch film:

Thickness	Tensile Strength (M.D.) (kg/cm ²)	Tensile Strength (T.D.) (kg/cm ²)	Elongation (M.D.) (%)	Elongation (T.D.) (%)	Dart Impact Strength (gf)	Opacity (%)	U.V Stability (month)
25 micron	110	90	250	350	100	98	12
30 micron	130	110	280	400	120	98	12
50 micron	150	130	300	450	150	99	18
100 micron	180	190	400	550	300	100	18
150 micron	190	200	500	650	450	100	24
200 micron	210	230	600	700	600	100	24

कृषक प्रशिक्षण हेतु मदवार सांकेतिक लागत का विवरण

अ. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या – 50

ब. बजट प्रावधान : 1.00 लाख रुपये प्रति 50 कृषक दो दिवसीय प्रशिक्षण

स. लागत का सांकेतिक विवरण-

आईटम	वित्तीय प्रावधान (रूपये में)
1. कृषकों का आने –जाने का किराया – वास्तविक किराया या अधिकतम 400/- रुपये प्रति कृषक दोनों में से जो भी कम हो	20000.00
2. चाय नाश्ता – 80/- रुपये प्रति कृषक	4000.00
3. लॉजिंग बोर्डिंग- 400 /- रुपये प्रति कृषक प्रति दिन	40000.00
4. प्रशिक्षण साहित्य, पैन , डायरी इत्यादि – 400 /- रुपये प्रति कृषक	20000.00
5. प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रचार प्रसार एवं विविध व्यय	10000.00
6. अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय – 500/- रुपये प्रति व्याख्यान (12)	6000.00
योग	100000.00

किसी एक मद में राशि की बचत होने पर अन्य मद में बजत राशि व्यय की जा सकेगी।

Pack House Financial Break Up


S.No.	Component	Estimated Cost (Rs. in lacs)	Eligible subsidy (Rs. in lacs)
1	Civil RCC Structure of size 9 M X 6 M with over head plastic tank, fan, tubes etc.	2.00	1.00
2	Fruit/Veg. sorter, Fruit/Veg. Grader, Grading / Sorting table, Strapping Machine, Plastic Tub (3 Nos.), Plastic Crates (50 Nos.), Weighing scale	2.00	1.00

Estimate for Onion Storage Structure

Capacity - 25 MT

S.No	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount
1	Excavation for foundation	Cu. M	3.888	LS	3500
2	P.C.C. 1:4:8 in foundation	Cu. M	0.729	3500	2552
3	R.C.C. 1:2:4 for columns	Cu. M	2.339	4500	10526
4	Nominal Reinforcement to columns	Kg.	320	65	20800
5	Structural Steel Works	Kg.	1200	65	78000
6	Asbestos / Steel Sheet Roofing	Sq. Mtr.	83.2	400	33280
7	Sheet Ridges	RmT	12	250	3000
8	2" Dia 1/2 Bamboo Strips @ 3" C/C	Cu. M	3.25	7200	23400
	Total				175057

परीशिष्ट-17



65



Annexure 10

Specifications of vending carts:

AC Green Carts Summary

Particulars	AC Green Carts
Gross vegetable carrying capacity	175-200 Kgs
Vegetable Display Capacity	75-100 Kgs
Vegetable Storage Capacity	80-100 Kgs
Mobility of Carts	Yes
Type of Cart	Tricycle
Type of Vegetables	All Types
Type of Coolant	PCM
Coolant Form	In Panels
Advertising Space	Side Panels, Roof Top, Door Panel
Doors	1 Door
Temperature Maintenance Duration:	
If Outer Temperature is-	
40-45 °C	2-3 Hrs
30-40 °C	3-4 Hrs
20-30 °C	4-5 Hrs
Below 20 °C	5-10 Hrs

AC carts: Components

S.No.	Particulars	No.
1	Single Mould main storage & display unit (UV stabilised food grade hydrocarbonic virgin polymer-thickness-7mm+/- 2mm)	1
2	Tricycle Base with Frame	
2.1	Tricycle Frame	1
2.2	Tricycle Frock	1
2.3	Handle Set	1
2.4	Brake Set	1
2.5	Mud guard (Front & Rear) & Wheel Cover	1
2.6	Front Wheel Set	1
2.7	Rear Wheel Set with Tubeless Tyre	2
2.8	Full Set Seat	1
2.9	Axle	1
2.10	Gear	1
2.11	Free Wheel	1
2.12	Frock-Tana	2
2.13	Angle Iron Chasis	1
2.14	Iron Body Set	1

2.15	Paddle	2
3	Form of AC mechanism- PCM (phase change material)	Panel
4	No. of PCM	8
5	Roof Top/Hood (UV stabilized food grade hydrocarbonic virgin polymer)	1
6	Vertical Column Hollow Pipe for Hood support	2

AC cart: Dimensions

S.No.	Particulars	Dimension
1	FRP/Single Mould Fiber Box (UV stabilized food grade hydrocarbonic virgin polymer)	1
1.1	Front Dimension (L ^x H) in ft.	5.5 ^x 2.2'
1.2	Rear Dimension (L ^x H) in ft.	5.5 ^x 2.8'
1.3	Lateral Dimension (B ^x H) in ft.	4.2 ^x (2.2'/2.8')
2	Roof Top (L ^x B ^x H) in ft.	5.5 ^x 4.2 ^x 0.6'
3	Vegetable Display/Storage Crates in ft.	1.0 ^x 1.5 ^x 0.3'
4	Top Hood (L ^x B ^x H) in ft.	5 ^x 0.5 ^x 1.67'
5	Dimension of PCMs (L ^x B ^x H) in mm	500 ^x 200 ^x 20mm

जिला स्तरीय सेमीनार आयोजन हेतु मदवार सांकेतिक लागत का विवरण

1. जिला स्तरीय सेमीनार आयोजना कार्यक्रम:

- अ. बजट प्रावधान – 2.00 लाख रुपये
 ब. कृषकों की संख्या : 100
 स. सेमीनार अवधि : 2 दिवस
 द. लागत का सांकेतिक विवरण—

आईटम	वित्तीय प्रावधान (रुपये में)
1. कृषकों का आने –जाने का किराया – वास्तविक किराया या अधिकतम 200/- रुपये प्रति कृषक दोनों में से जो भी कम हो	20000.00
2. चाय नाश्ता, लंच व डिनर 250 रुपये प्रति कृषक (प्रति दिन)	50000.00
3. लॉजिंग बोर्डिंग- 300 /- रुपये प्रति कृषक	30000.00
4. प्रशिक्षण साहित्य, पैन , डायरी इत्यादि – 350 /- रुपये प्रति कृषक	35000.00
5. प्रचार प्रसार	10000.00
6. अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय – 1000/- रुपये प्रति व्याख्यान (10)	10000.00
7. विविध व्यय	20000.00
8. हॉल का किराया	10000.00
9. अतिथि व्याख्याताओं को आने जाने का वास्तविक किराया (Entitlementके अनुसार)	15000.00
योग	200000.00

किसी एक मद में राशि की बचत होने पर अन्य मद में बजत राशि व्यय की जा सकेगी।

Annual Action Plan of Vegetable Initiative for Urban Cluster under RKVY 2017-18

(Rs. In lakh)

S. No.	Programme / Component	Targets		
		Unit	Phy.	Fin.
1	Vegetable Cultivation			
	(i) Open Field	Ha.	100	22.50
	(ii) Hybrid Vegetables	Ha.	750	253.13
2	Protected cultivation			
	1.Green House Structure - Naturally Ventillated			
	(i) Tubular structur			
	a. upto 1008 sq. mtr	Sqm	2000	9.35
	b. 1008 to 2080 sq. mtr.	Sqm	10000	44.50
	c. 2080 to 4000 sq. mtr.	Sqm	70000	295.40
	2.Shade Net House - Tubular structure	Sqm	5000	17.75
	3. Plastic Tunnel/ low tunnel	Sqm	100000	30.00
	4. Plastic Mulch	Ha.	315	50.40
3	Organic Farming			
	1. Vermi compost Units			
	(i) Permanent	Nos.	40	20.00
4	Human Resource Development			
	(i) Training of farmrs within the State	Nos.	500	5.00
5	POST HARVEST MANAGEMENT			
	1. Functional Pack house/ On farm collection unit	Nos.	5	10.00
	2. Low cost onion storage structure (25 MT)	Nos.	25	21.88
6	Markets			
	1. Retail Market/ Outlets (Enviornmentally controlled)	Nos.	2	10.50
	2.Vending carts	Nos.	5	0.75
7	Seminar/ workshop	Nos.	2	4.00
8	Sub total			795.15
9	Managerial funds			4.85
10	Grand Total			800.00

62-3^o

Directorate of Horticulture, Government of Rajasthan, Jaipur
Annual Action plan of National Vegetable Initiatives for Urban Cluster for the year 2017-18

S. No.	Programme / Component	Ajmer										Total									
		Phy.					Fin.					Phy.					Fin.				
		Gen.	TSP	SCP	Total	Gen.	TSP	SCP	Total	Gen.	TSP	SCP	Total	Gen.	TSP	SCP	Total				
1	Vegetable Cultivation	(i) Open Field	15	2	3	20	3.38	0.45	0.68	4.50	75	10	15	100	16.88	2.25	3.38	22.50			
		(ii) Hybrid Vegetables	80	10	15	105	27.00	3.38	5.06	35.44	595	55	100	750	200.81	18.56	33.75	253.13			
		Protected cultivation																	0.00		
2	1.Green House Structure - Naturally Ventilated	(i) Tubular structure																	0.00		
		a. upto 1008 sq. mtr	1000	0	0	1000	4.68	0.00	0.00	4.68	1000	0	1000	2000	4.68	0.00	4.68	9.35			
		b. 1008 to 2080 sq. mtr.	2000		0	2000	8.90	0.00	0.00	8.90	6000	2000	2000	10000	26.70	8.90	8.90	44.50			
3	2.Shade Net House - Tubular structure	Plastic Tunnel/ low tunnel	4000		4000	16.88	0.00	16.88	33.76	47000	7000	16000	70000	198.34	29.54	67.52	295.40				
		Plastic Mulch	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2000	3000	0	5000	7.10	10.65	0.00	17.75			
		Organic Fertilizer	4000	2000	2000	8000	1.20	0.60	0.60	2.40	78000	11000	11000	100000	23.40	3.30	3.30	30.00			
4	1. Vermi compost Units /organic input production unit	(i) Permanent	6	1	1	8	3.00	0.50	0.50	4.00	30	4	6	40	15.00	2.00	3.00	20.00			
		Human Resource Development (HRD)																	0.00		
		(i) Training of farmers within the State	30	10	10	50	0.30	0.10	0.10	0.50	319	72	109	500	3.19	0.72	1.09	5.00			
5	POST HARVEST MANAGEMENT	1. Functional Pack house/ On farm collection unit	1			1	2.00			2.00	5	0	0	5	10.00	0.00	0.00	10.00			
		2. Low cost onion storage structure (25 MT)	3	1	1	5	2.63	0.88	0.88	4.38	16	4	5	25	14.00	3.50	4.38	21.88			
		Markets																	0.00		
6	1. Retail Market/ Outlets (Environmentally controlled)	Vending carts	0		0	0	0	0	0	0.00	4	0	1	5	0.60	0.00	0.15	0.75			
		Seminar/ workshop	0		0	0	0	0	0	0.00	2	0	0	2	4.00	0.00	0.00	4.00			
		Sub total					74.76	6.70	25.49	106.95					571.99	85.02	138.14	795.15			
7	Managerial funds								0.90						0.00	0.00		4.85			
		Grand Total					74.76	6.70	25.49	107.85					571.99	85.02	138.14	800.00			